न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

(प्रथम अपील अधिकारी अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 53 / 2024

जी.सी.एस.एस. नं. : 2024 / 202

1. अशोक कुमार मीणा, निवासी Jahaj TH Udaipurvati, Jhunjhunu नीम का थाना

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 20.12.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलार्थी द्वारा यह प्रथम अपील प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना प्रदान नहीं करने एवं वांछित सूचना को प्रश्नात्मक प्रकार कर अंकित करते हुए धारा 7(9) के अधीन तर्कहीन अनुचित रूप से आवेदन खारिज के आधार पर प्रस्तुत की गयी हैं। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पत्र के संबंध में जवाब प्रतिवेदन तलब किया गया। उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ के पत्रांक / आरटीआई / 2024 / 839 दिनांक 20.12.2024 के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया हैं कि आवेदन पत्र खारिज कर अपीलार्थी को सूचना प्रेषित की गयी है। अपील खारिज करने हेतु निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर एसडीएम कार्यालय अनूपगढ़ में दिनांक 15.12.2022 को जिला स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित होने तथा स्वीप गतिविधियों के लिए आयोजित बैठक के संबंध में जारी आदेशों एवं इससे संबंधित अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों की अपेक्षा करते हुए 12 बिन्दुओं की सूचना उपलब्ध करवाने हेतु आवेदन पेश किया। प्रत्यर्थी राज्य लोक सूचना अधिकारी के द्वारा अपने प्रतिवेदन के साथ अपीलार्थी को प्रेषित सूचना अनुसार अपीलार्थी का आवेदन पत्र धारा 7(9) के अधीन इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि उनके द्वारा चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक प्रकार की होने के कारण उपलब्ध करवाई जानी संभव नहीं है। अपीलार्थी के द्वारा लोक सूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र का अवलोकन करने पर पाया गया है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित 12 बिन्दुओं की सूचनाओं में कुछ सूचनाएं प्रश्नात्मक रूप में चाही गयी है। ऐसी स्थिति में लोक सूचना अधिकारी को चाहिए था कि अपीलार्थी के आवेदन पत्र पर बिन्दूवार विनिश्चय पारित करते तथा जो सूचनाए कार्यालय में उपलब्ध थी वे अपीलार्थी को उपलब्ध करवानी चाहिए थी। ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी को अपीलार्थी के आवेदन पत्र पर पुनः बिन्दूवार निर्णय करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाना उचित है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है और प्रकरण उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलार्थी के आवेदन पत्र पर बिन्दुवार निर्णय पारित करते हुए कार्यालय में उपलब्ध सूचनाएं अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जावे। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को सूचनार्थ / पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 20.12.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

(अवधेश मीना)
जिला कलक्टर अनूपगढ़ I.A.S
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़